

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

सूचना

विषय :- “माता पिता अध्यापक, संगम के गठन के लिए नोटिस”

सेवामें,

श्रीमान / श्रीमती

अध्यापक / अभिभावक

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक समय
विद्यालय परिसर में माता पिता अध्यापक संगम का गठन किया जाएगा, जिसमें आपकी
उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. विद्यालय नोटिस बोर्ड
2. प्रत्येक कक्षा कक्ष
3. रक्षित पत्रावली

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

सूचना

विषय :- “माता पिता अध्यापक, संगम की बैठक के लिए नोटिस”

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त कथित विषय के संदर्भ में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (ड़) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 3 (2) के उपबन्धों के अनुसार माता पिता अध्यापक संगम की बैठक दिनांक को समय स्थान पर नियत की गयी है।

बैठक का कार्यवृत्त इसके साथ संलग्न हैं। आपसे बैठक में समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

सचिव

माता पिता अध्यापक संगम

.....
स्कूल

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. सदस्य श्री / श्रीमती
- माता पिता अध्यापक संगम
2. विद्यालय नोटिस बोर्ड
3. प्रत्येक कक्षा कक्ष
4. रक्षित पत्रावली

सचिव

माता पिता अध्यापक संगम

.....
स्कूल

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

“माता पिता अध्यापक संगम का गठन”

आज दिनांक को विद्यालय परिसर में संस्था प्रधान के नेतृत्व में माता पिता अध्यापक संगम का गठन विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाएं एवं विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों से किया गया जिसमें उपस्थित अभिभावकों व अध्यापक/अध्यापिकाओं ने निर्धारित शुल्क राशि जमा करवाकर संगम की सदस्यता ग्रहण की।

क्र. सं.	संगम सदस्य का नाम	विद्यालय में पद	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	पद	हस्ताक्षर
1		प्रधानाध्यापक			अध्यक्ष	
2		व. अध्यापक			सचिव	
3					सदस्य	
4					सदस्य	
5					सदस्य	
6					सदस्य	
7					सदस्य	
8					सदस्य	
9					सदस्य	
10					सदस्य	
11					सदस्य	
12					सदस्य	
13					सदस्य	
14					सदस्य	
15					सदस्य	
16					सदस्य	
17					सदस्य	
18					सदस्य	
19					सदस्य	
20					सदस्य	
21					सदस्य	
22					सदस्य	
23					सदस्य	
24					सदस्य	
25					सदस्य	

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

“माता पिता अध्यापक संगम की बैठक”

आज दिनांक को समय स्थान पर माता पिता अध्यापक संगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किये जाने के लिए माता पिता अध्यापक संगम की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी कार्यवाही इस प्रकार रही।

सभा का एजेण्डा	एजेण्डे पर की गई कार्यवाही/निर्णय																																																																																																																																		
1. सदस्यों का स्वागत सत्कार	समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत सत्कार किये जाने के बाद अध्यक्ष श्री ने आज की बैठक का शुभारम्भ करते हुए सभी का अभिनन्दन किया और धन्यावाद दिया। माँ सरस्वती के पावन चित्र पर मालाअर्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर आज की सभा की कार्यवाही शुरू की।																																																																																																																																		
2. विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन	संगम की बैठक में अध्यक्ष श्री ने बताया की विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा। 1. अध्यक्ष :- प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी 2. सचिव :- विद्यालय का प्रधानाध्याप/प्रधानाचार्य 3. अध्यापक सदस्य :- विद्यालय प्रबन्ध द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई तीन अध्यापक। 4. अभिभावक सदस्य :- माता पिता अध्यापक संगम में से कोई पांच माता पिता का चयन (चयन इच्छित माता पिता के प्राप्त आवेदनो में से लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ संगम अध्यक्ष ने बताया कि अभिभावक सदस्यों को विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्य बनने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उपस्थित इच्छुक सदस्यों ने उक्त कार्यवाही के लिए अपने अपने आवेदन संगम अध्यक्ष/सचिव को सौंपे जो इस प्रकार है।																																																																																																																																		
3. अभिभावक सदस्यों से प्राप्त आवेदन पत्र	<table border="1"><thead><tr><th>क्र.सं.</th><th>संगम सदस्य का नाम</th><th>विद्यार्थी का नाम</th><th>कक्षा</th><th>हस्ताक्षर</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	क्र.सं.	संगम सदस्य का नाम	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	हस्ताक्षर	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25				
क्र.सं.	संगम सदस्य का नाम	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	हस्ताक्षर																																																																																																																															
1																																																																																																																																			
2																																																																																																																																			
3																																																																																																																																			
4																																																																																																																																			
5																																																																																																																																			
6																																																																																																																																			
7																																																																																																																																			
8																																																																																																																																			
9																																																																																																																																			
10																																																																																																																																			
11																																																																																																																																			
12																																																																																																																																			
13																																																																																																																																			
14																																																																																																																																			
15																																																																																																																																			
16																																																																																																																																			
17																																																																																																																																			
18																																																																																																																																			
19																																																																																																																																			
20																																																																																																																																			
21																																																																																																																																			
22																																																																																																																																			
23																																																																																																																																			
24																																																																																																																																			
25																																																																																																																																			

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति के गठन हेतु अभिभावक चयन हेतु लॉटरी प्रक्रिया

1. पूर्व निर्धारित दिनांक के तहत विद्यालय स्तर पर अभिभावक संगम गठन तथा दिनांक के तहत इच्छुक अभिभावक से प्राप्त आवेदनों में से सदस्यों का चयन आज दिनांक को आयोजित लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया गया। पांच चयनित अभिभावकों के नाम निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	चयनित अभिभावक का नाम	पद
1		सदस्य
2		सदस्य
3		सदस्य
4		सदस्य
5		सदस्य

चयनित अभिभावक सत्र में विद्यालय फीस निर्धारण समिति के सदस्य रहेंगे।

2. **अध्यापक सदस्य :-** प्राप्त निर्देशानुसार निम्नांकित तीन अध्यापक सदस्यों का नाम विद्यालय प्रबन्धन द्वारा सुजाए गए तथा सर्व सहमति से इन्हें विद्यालय फीस निर्धारण समिति के सदस्य बनाए गए।

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद
1		सदस्य
2		सदस्य
3		सदस्य

3. अभिभावक सदस्यों की लॉटरी प्रक्रिया व अध्यापक सदस्यों के मनोनयन के बाद विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया।

क्र.सं.	नाम सदस्य	वर्गीकरण	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1		प्रबन्ध निर्देशक		अध्याक्ष	
2		प्रधानाध्यापक		सचिव	
3		अध्यापक		सदस्य	
4		अध्यापक		सदस्य	
5		अध्यापक		सदस्य	
6		अभिभावक		सदस्य	
7		अभिभावक		सदस्य	
8		अभिभावक		सदस्य	
9		अभिभावक		सदस्य	
10		अभिभावक		सदस्य	

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

सेवामें,

श्रीमान / श्रीमती

विद्यालय स्तरीय फीस समिति का सदस्य

विषय :- विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक के लिए नोटिस।

महोदया / महोदया,

उपर्युक्त कथित विषय के सन्दर्भ में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 4 (2) (घ) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 7 (1) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय के प्रबन्ध के फीस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए और उस पर समुचित विनिश्चय लेने के लिए की विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक दिनांक को समय स्थान पर नियत की गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

भवदीय

सचिव

विद्यालय स्तरीय फीस समिति

.....

.....

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

सेवामें,

.....
की विद्यालय स्तरीय फीस समिति

विषय :- शैक्षणिक वर्ष ————— के लिए फीस संरचना का प्रस्ताव।

मोहदय/महोदया,

..... स्कूल का प्रबन्धन अपने प्रस्ताव संरचना के अन्तर्गत दिनांक द्वारा शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस संरचना अग्रेषित करता है। जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं।

1. न्यास या सोसाईटि का नाम :-
2. विद्यालय का नाम :-
3. UDISE नम्बर :-
4. बोर्ड का नाम :-
5. माध्यम :-
6. कक्षा :-
7. प्रभागों/अनुभागों की संख्या :-
8. छात्रों की संख्या :-
9. कक्षा वार प्रस्तावित फीस :-

क्र.सं.	कक्षा	गत वर्ष की फीस	प्रस्तावित फीस	अन्तर (4-3)	फीस वृद्धि का प्रतिशत	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1	LKG					
2	UKG					
3	PREP					
4	I					
5	II					
6	III					
7	IV					
8	V					
9	VI					
10	VII					
11	VIII					
12	IX					
13	X					
14	XI					
15	XII					

सचिव

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदन एवं प्रमाणीकरण

उपस्थित सदस्य		
क्र. सं.	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

प्रबन्ध निदेशक व अध्यक्ष
विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति

प्रधानाध्यापक व सचिव
विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

सेवामें,

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

बीकानेर, (राजस्थान)

विषय :- विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की सूचना भेजने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त कथित विषय के सन्दर्भ में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 4 (2) (घ) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 7 (1) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय के प्रबन्ध के फीस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए और उस पर समुचित विनिश्चय लेने के लिए उपरोक्त संस्था ने विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन नियमानुसार दिनांक को कर लिया है जिसकी सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति की सूची वर्ष 2017-18

क्र. सं.	पदाधिकारी/सदस्य का नाम	विद्यालय में पद	पूर्ण पता	फीस निर्धारण समिति में पद
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

प्रबन्ध निदेशक व अध्यक्ष
विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति

प्रधानाध्यापक व सचिव
विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति की सूची वर्ष 2017-18

क्र. सं.	पदाधिकारी/सदस्य का नाम	विद्यालय में पद	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	फीस निर्धारण समिति में पद
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

प्रबन्ध निदेशक व अध्यक्ष
विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति

प्रधानाध्यापक व सचिव
विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति

संस्था का नाम :-

क्रमांक :-.....

दिनांक :

सेवामें,

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
बीकानेर, (राजस्थान)

विषय :- विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन एवं प्रस्तावित फीस के अनुमोदन की सूचना भेजने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त कथित विषय के सन्दर्भ में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 4 (2) (घ) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 7 (1) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय के प्रबन्ध के फीस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए और उस पर समुचित विनिश्चय लेने के लिए उपरोक्त संस्था ने विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन नियमानुसार दिनांक को कर लिया है एवं अधिनियम की धारा 6 (4) में वर्णित प्रावधान के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र..... की प्रस्तावित फीस का अनुमोदन समिति द्वारा आज दिनांक.....को करवा लिया गया है। जिसकी सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक